न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **25/13 (वाद)**

1. श्री मोतीलाल पिता कालु डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
2. श्री खेमराज पिता पेमा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
3. श्री मेगराज पिता पेमा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
4. श्री मोहन पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
5. श्री भंवरलाल पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
6. श्री गोपीलाल पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री प्रतापसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
2. श्री गुलाबसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
3. श्री हरिसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
4. श्री लोगरलाल पिता कालु डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
5. श्री रामा पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
6. श्री रोडीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
7. श्री हुडीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमला तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.06.2019

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली की आराजी नम्बर 3994, 3995, 3996, 3998 मी., 3999 किता 5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भंवरसिंह, प्रतापसिंह, डुंगरसिंह, गुलाबसिंह, हरिसिंह पिता श्री भेरूसिंह जी

राजपूत सा. देह हि.ब. के नाम अंकित हैं तथा टिप्पणीयों में नामान्तरकरण सं. 471 द्वारा बिकाव से आराजी नम्बर 3994, 3995, 3996, 3998, 3999 किता 5 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा लगानी 2.19 रूपया भंवरसिंह, डुंगरसिंह पिता श्री भेरूसिंह 2/5 राजपूत के बजाय लोगर पिता कालु डांगी (प्र.स.4), 2/5 हिस्सा सा. देह के नाम अंकित हैं। ताईद में चालु जमाबन्दी की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं। उपरोक्त आराजीयात को आगे इस वाद में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से पुकारा जावेगा।

2. उपरोक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर हाल आराजी नम्बर 3994 साबिक नम्बर 1105, 1106, हाल आराजी नम्बर 3995 साबिक नम्बर 1105, 1106, हाल आराजी नम्बर 3996 साबिक नम्बर 1107, हाल आराजी नम्बर 3998 साबिक नम्बर 1107, हाल आराजी नम्बर 3999 साबिक नम्बर 1107 हैं।
3. साबिक आराजी नम्बर 1105, 1106, 1107 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा पेमा वल्द देवा भील 1/2, किसना वल्द खेता 1/4, भेरा पिता लखा 1/4 हि.ब. चमार सा. मोतीखेडा म. देह के नाम गत महकमें बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 1984 में अंकित थी।
4. साबिक आराजी नम्बर 1105, 1106, 1107 भूमि के 1/4 हिस्सें को किसना उर्फ कन्ना पिता जेता के लडके कालु ने दिनांक 21.02.1956 को कालु, पेमा, डुंगा, कन्ना पिता श्री गांगा डांगी को 100/– अक्षरें एक सौ रूपया में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया एवं कालु पिता श्री कन्ना उर्फ किसना मेघवाल ने कालु, पेमा, डुंगा, कन्ना पिता गांगा डांगी के पक्ष में स्टाम्प पर विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। जिसके पडोस निम्न प्रकार है :– पूर्व – नवला मेघवाल का खेत, पश्चिम – डांगी गांगा जी गुडेला का खेत, उत्तर – भील नन्दा, जेता का खेत, दक्षिण – सडक चित्तौड रोड।
5. उपरोक्त पडोंसों के बीच की भूमि पर वादी सं. 1 से 6 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 का कब्जा अपने पिता के समय से लगातार आज तक बिना किसी बाधा के चला आ रहा हैं। जिसकी ताईद राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी से भी होती हैं। उपरोक्त पडोसों बीच की भूमि रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर थुहर की बाड, पश्चिम की ओर पत्थर की कोट एवं

थुहर की बाड तथा दक्षिण की ओर पत्थर का कोट बना हुआ हैं। इन पडोसों बीच की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 प्रतिवर्ष फसले बोकर फसले लेते है तथा उत्तरी–पश्चिमी कोने पर दो कमरे व एक रसोई बनी हुई है जिसमें प्रतिवादी सं. 6 अपने परिवार सहित निवास करता हैं।

6. क्रेतागण कालु पिता गांगा डांगी के उत्तराधिकारी वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 4 है, इसी प्रकार पेमा पिता गांगा डांगी के उत्तराधिकारी वादी सं. 2, 3, डुंगा पिता गांगा डांगी के उत्तराधिकारी वादी सं. 4 से 6 तथा कन्ना पिता गांगा डांगी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 5 से 7 हैं। प्रतिवादी सं. 4 से 7 के विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही गई है किन्तु वे आवश्यक पक्षकार है तथा वादी बनने को तैयार नहीं है जिससे उन्हे प्रोफोर्मा प्रतिवादीगण बनाया गया हैं।

7. उपरोक्त वाद में वर्णित आराजीयात एवं इसके साथ अन्य आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं भंवरसिंह, डुंगरसिंह पिता भेरूसिंह का नाम बिना किसी आधार के गलत तरीके से अंकित हो गया, जो आगे से आगे चलता रहा। तत्पश्चात् भंवरसिंह, डुंगरसिंह पिता भेरूसिंह ने अपने नाम अंकित 2/5 हिस्से की भूमि को नुमाईशी तरीके से प्रतिवादी सं. 4 को विक्रय कर दिया। जिससे राजस्व अभिलेखों में 2/5 हिस्सें की भूमि का अंकन प्रतिवादी सं. 4 के नाम लग गया।

8. वाद में अंकित आराजीयात जिसके पडोंस वाद में अंकित हैं, पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 का कब्जा उनके पिता के समय से अर्थात् गत 57 वर्षों से लगातार चला आ रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता के समय में वे फसले बोकर फसले लेते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 लगातार फसले बोकर ले रहे हैं। जिससे वादीगण का कब्जा गत 57 वर्षों से लगातार चला आता रहने से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार बन गये हैं एवं इसे अपने नाम खातेदारी अधिकार से घोषित कराने के अधिकारी हैं।

9. वादग्रस्त आराजीयात में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2, 3 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्से से खातेदारी, अधिकार एवं आधिपत्य है एवं इसीनुसार वादीगण घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 से 3 का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार व आधिपत्य नहीं है फिर भी वादग्रस्त आराजीयात में 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम अंकित रह जाने से वे इसे नाजायज तरीके से भू–माफिया के अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने पर उतारू हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादीगण को धमकीयां दे रहे है कि वे उनके नाम अंकित 3/5 हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देगें। जिससे वादीगण को निषेधाज्ञा हेतु भी वाद प्रस्तुत करने पर विवश होना पडा हैं।
10. वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को कई बार वादग्रस्त आराजीयात के 3/5 हिस्सें का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 से 7 के नाम अंकित कराने बाबत कहा गया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया एवं वादग्रस्त आराजीयात के 3/5 हिस्से को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने बाबत् धमकी दी एवं इस प्रकार की धमकीयां अंतिम बार दिनांक 27.12.2012 को दिये जाने पर वाद कारण बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु विरूद्व प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ।
11. अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि यह घोषित की जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात के वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सेनुसार, वादी सं. 2, 3 का 1/4 हिस्सेनुसार, वादी सं. 4 से 6 का 1/4 हिस्सेनुसार एवं प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्से के अनुसार खातेदारी हक से अधिकार है एवं वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम से हटाई जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाने के अधिकारी हैं। यह स्थायी निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें तथा उक्त आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें।

12. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।
13. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री मोतीलाल पिता कालु डांगी, पीडब्ल्यू 2– श्री मोतीलाल पिता गांगा डांगी, पीडब्ल्यू–3 श्री रता पिता जेता भील, पीडब्ल्यू–4 श्री मनोहरलाल पिता देवा डांगी, पीडब्ल्यू–5 श्री पुरा पिता परथा डांगी का शपथ पत्र पेश किया गया।
14. वादी द्वारा वाद पत्र में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, मेवाड सेटलमेन्ट नकल प्रदर्श 2, मिलान खसरा प्रदर्श 3, मिलान खसरा प्रदर्श 4, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 5, स्टाम्प लिखापढी प्रदर्श 6ए पेश कियें।
15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
16. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि जो ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली में स्थित हैं जिसके हाल आराजी नम्बर 3994, 3995, 3996, 3998 मी., 3999 किता 5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा हैं, जो वर्तमान में भंवरसिंह, प्रतापसिंह, डुंगरसिंह, गुलाबसिंह, हरिसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत के नाम दर्ज हैं। जिनमें भंवरसिंह डुंगरसिंह द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 लोगर पिता कालु को विक्रय कर रखा हैं जो जमाबन्दी दस्तावेज प्रदर्श 1 हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व साबिक नम्बर 1105, 1106, 1107 थे जिनका दस्तावेज जमाबन्दी बन्दोबस्त प्रदर्श 2 हैं, जिसमें उक्त भूमि पेमा वल्द देवा भील 1/2, किसना वल्द खेता 1/4, नोल्या, भेरा पिता लखा 1/4 हिस्सा ब. चमार सा. मोतीखेडा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 के मौरूस कालु पिता गांगा, पेमा, डुंगा, कन्ना पिता गांगा डांगी को 100/– रूपयें में 2/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 21.02.1956 को कालु पिता कन्ना मेघवाल द्वारा विक्रय कर कब्जा सिपूर्द

किया, तब से ही मौके पर वादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, जो विक्रय स्टाम्प प्रदर्श 6ए हैं। वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर पूर्व एवं उत्तर की दिशा में थूहर की बाड एवं पश्चिम दिशा की ओर थूहर एवं पत्थर की कोट, दक्षिण की ओर पत्थर का कोट बना रखा हैं। जिसमें प्रतिवर्ष फसल बोकर फसले लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी कोने पर दो कमरे व एक रसोई बनाकर प्रतिवादी सं. 6 अपने परिवार सहित निवास करता हैं। वादीगण मौके पर विक्रय दिनांक 21.02.1956 से ही मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। भूमि पूर्व में कालु पिता कन्ना मेघवाल के मौरूस के नाम दर्ज थी, उसके पश्चात् भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं भंवरसिंह एवं डूंगरसिंह पुत्रान भेरूसिंह के नाम बिना किसी आधार के दर्ज हो गई हैं जिसमे से भंवरसिंह एवं डूंगरसिंह पुत्रान भेरूसिंह ने अपना 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना वादीगण के वाद के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं एवं ना ही अब तक किसी प्रकार का कोई उजर एतराज प्रस्तुत किया हैं। वादीगण के मौरूस द्वारा उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की गई थी। लेकिन भूमि वादीगण के मौरूस के बजाय प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं भंवरसिंह एवं डूंगरसिंह पुत्रान भेरूसिंह के नाम पर दर्ज हो गई हैं। चूंकि भूमि वादीगण के मौरूस द्वारा दिनांक 21.02.1956 को ही क्रय कर ली गई एवं तब से ही लगभग 63 वर्ष से ही वादीगण के मौरूस एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं मकान बनाकर रह रहे हैं।

17. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू 1 मोती पिता कालु का पेश किया। इसी के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि के पश्चिम दिशा के पडोसी के शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2 मोतीलाल पिता गांगा डांगी का पेश किया जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है जिसने भी अपने शपथ पत्र में उक्त आराजीयात पर सदैव से मोतीलाल, लोगरलाल पुत्र कालु डांगी, खेमराज, मेघराज पुत्र पेमा डांगी, मोहनलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पुत्र डुंगा डांगी, रामा, रोडीलाल, हुडीलाल पुत्र कन्ना डांगी का कब्जा देखने का कथन किया हैं। इसी प्रकार उक्त

आराजीयात के उत्तर दिशा के पडोसी पीडब्ल्यू 3 श्री रता पिता जेता भील जिसकी उम्र लगभग 75 वर्ष है जिसने भी अपने शपथ पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 4 से 7 के मौरूस एवं इनके पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का मौके पर कब्जा होकर मकान में निवास करने का कथन किया हैं। इसी प्रकार दो स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 4 श्री मनोहर पिता देवा डांगी उम्र 47 वर्ष एवं पीडब्ल्यू 5 श्री पुरा पिता परथा डांगी उम्र 70 वर्ष द्वारा उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का इनके मौरूस के समय से ही कब्जा होकर उपयोग उपभोग करने का कथन किया हैं। गवाहों जिनकी उम्र 70 से 75 वर्ष हैं के द्वारा उक्त भूमि पर सदैव से वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 के मौरूस के समय से ही कब्जा होकर कृषि कार्य करने का कथन किया हैं। जिससे विक्रय दिनांक 21.02.1956 के बेचान के तथ्य को नजर अदांज नहीं किया जा सकता हैं। उक्त बैचान के आधार पर ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 40 में कालु पिता गांगा डांगी का बिकाव के नाम का अंकन किया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कब्जा तभी से वादीगण के मौरूस के समय से चला आ रहा है। वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से 3 को भी विधिवत् तामील हो चुकी है उसके पश्चात् भी प्रतिवादी द्वारा वाद के खण्डन हेतु इस न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी हैं। जिससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। चूंकि उक्त विक्रय लगभग 63 वर्ष पूर्व हो चुका हैं लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान भूमि अब तक वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 के मौरूस व इनके नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम सेहवन से दर्ज हो चुकी हैं। जिससे पुनः उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 7 के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 3994, 3995,

3996, 3998मी., 3999 किता 5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2, 3 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसीनुसार राजस्व अभिलेखो में अंकित करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी सं 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो।पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोतीलाल पिता कालु डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
2. श्री खेमराज पिता पेमा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
3. श्री मेगराज पिता पेमा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
4. श्री मोहन पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
5. श्री भंवरलाल पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
6. श्री गोपीलाल पिता डुंगा डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री प्रतापसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
2. श्री गुलाबसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
3. श्री हरिसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी मोतीखेडा तह. मावली।
4. श्री लोगरलाल पिता कालु डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
5. श्री रामा पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
6. श्री रोडीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमाला तह. मावली।
7. श्री हुडीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी मोतीखेडा मजरा बेमला तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 25/13 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का

गुडली की आराजी नम्बर 3994, 3995, 3996, 3998मी., 3999 किता 5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2, 3 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 4 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसीनुसार राजस्व अभिलेखो में अंकित करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी सं 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली